Marodia

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक/रीडर/2025/ 3459-60 दिनांक 19.09.2025

उनवानी प्रकरणः– हनुमानसहाय जाट वगै0 बनाम् भूमिधारी तहसीलदार
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट
मुकदमा संख्याः– 119/2025

–ः दुरूस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :–

राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में दिनांक 24 जून 2025 से 09 जुलाई 2025 तक **"पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा"** का आयोजन किया गया था। जिसके अन्तर्गत राजस्व विभाग से संबधित संपादित किये जाने वाले कार्यो में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 2601/भू.अ./2025 दिनांक 18.09.2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा – 136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम किशोरपुरा पटवार हल्का किशोरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमि खाता संख्या 53, 317 में खातेदार इन्द्रा देवी, खेमचन्द, ख्यालीराम, नाथूलाल, हनुमान, शिवनाथ, मुकेश देवी पिता सुरजाराम, प्रभाती देवी पत्नि सुरजाराम जाति जाट के स्थान पर इन्द्रा देवी, खेमचन्द, ख्यालीराम, नाथूलाल, हनुमान, शिवनाथ, मुकेश देवी पिता सुरजाराम उर्फ सुरजमल, प्रभाती देवी पत्नि सुरजाराम उर्फ सुरजमल जाति जाट का नाम दुरूस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में सम्बन्धित पटवारी से दुरूस्ती करवाकर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक/रीडर/2025/ 3459-60 दिनांक 19.09.2025

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थः–

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को पालनार्थ एंव ...

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.09.29 12:57:43 IST
Reason: SelfAttested